कार्यालय उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, धनबाद।

(जिला नजारत शाखा)

–: अति अल्पकालीन निविदा :–

सचिव ,राजस्व निबंधन एवं भूमि–सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार राँची के पत्रांक– 3488/रा0, दिनांक– 24.07.2015 एवं पत्रांक– 23/आ0, दिनांक– 17.04.2017 के आलोक में धनबाद परिसदन का रख–रखाव एवं संचालन तथा धनबाद समाहरणालय का साफ–सफाई आउटसोर्सिंग के माध्यम से किये जाने के संबंध में इच्छुक निविदादाताओं से दो–दो लिफाफा प्रणाली के तहत दर सहित मुहरबंद निविदा दिनांक– 01.12.2017 को आमंत्रित की जानी है।

अतः इच्छुक निविदादाता दिनांक– 01.12.2017 को 1:00 बजे अपराह्न तक जिला नजारत शाखा में निविदा डाल सकते है। निविदा उसी तिथि को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में 3:00 बजे अपराह्न में निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाएगी। निविदादाता चाहे तो परिसदन धनबाद नया एवं पुराना भवन एवं समाहरणालय धनबाद का अवलोकन कर सकते है।

–: प्रथम :–

समाहरणालय धनबाद।

समाहरणालय धनबाद का आंतरिक एवं बाहरी साफ–सफाई जिसमें जिला नियंत्रण कक्ष, एवं जिला गोपनीय शाखा सहित सफाई के लिए सफाई कर्मी एवं एक वाहन चालक, तथा संबंधित सभी प्रकार का सामग्री यथा झाड़ू, हीट, पोछा, वाईपर, फिनाईल, ओडोनील, हारपीक, ब्लीचिंग पाउडर बाल्टी, जग, डस्टबीन, ग्लास डस्टर, क्लॉथ डस्टर, झोल झारन, रूमस्प्रे, इत्यादि सफल निविदादाता के द्वारा आपूर्ति की जाएगी।

–: द्वितीय :–

परिसदन धनबाद।

परिसदन धनबाद नया एवं पुराना भवन का आंतरिक एवं बाहरी रख–रखाव, साफ–सफाई सहित लॉन बगीचे में फूल–पौधे लगाने सहित कार्य आउट सोर्सिंग के माध्यम से किया जाना है। निविदा की विस्तृत शर्ते कार्य दिवस एवं कार्याअवधि में जिला नजारत शाखा से प्राप्त कर सकते है। एवं www.dhanbad.nic.in से डाउनलोड कर देख सकते है।

उपायुक्त, धनबाद।

कार्यालय उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, धनबाद।

(जिला नजारत शाखा)

–: निविदा की शर्तें :–

1. तकनीकी एवं वित्तीय बीड समाहरणालय एवं परिसदन धनबाद का अलग–अलग एक मुहर बंद लिफाफे में डालकर देना होगा। तकनीकी बीड पहले खोला जाएगा। तकनीकी बीड में पात्रता सुनिश्चित करने के बाद ही वित्तीय बीड खोला जाएगा।

तकनीकी निविदा की शर्तें :–

1. प्रत्येक निविदादाता को अपने निविदा के साथ उपायुक्त, धनबाद के पदनाम से 20–20 हजार (बीस–बीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट के रूप में प्रथम एवं द्वितीय के लिए अलग–अलग सुरक्षित जमा करना होगा।
2. झारखण्ड में GST प्रमाण पत्र, निबंधित होना चाहिए।
3. निविदादाता काली सूची में दर्ज नही होने का शपथ पत्र नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत संलग्न करना आवश्यक है।
4. अद्यतन आयकर रिर्टन 3 (तीन) वर्षो का देना होगा।
5. उपायुक्त/आरक्षी अधीक्षक द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. सेवा कर का निबंधन अनिवार्य होगा।
7. वित्तीय वर्ष– 2016–17 के दौरान इस प्रकार के रख–रखाव एवं संचालन से संबंधित 20,00,000.00 (बीस लाख) रूपये के कार्य पूर्ण कर लेन–देन किये जाने का प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
8. निविदादाता को किसी संस्थान/प्रतिष्ठान से कैटरिंग/हाउस कीपिंग/साफ–सफाई का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

वित्तीय बीड की शर्तें :–

1. निविदादाताओं को उपरोक्त सेवाएँ देने के एवज में मासिक/वार्षिक राशि समाहरणालय धनबाद एवं परिसदन धनबाद का अलग–अलग QUOTE करना होगा।

उक्त निविदा हेतु आवश्यक शर्तें निम्नांकित है :–

1. आंतरिक साफ–सफाई जिसके अन्तर्गत कमरों, प्रसाधन गृहो, सहित पूरे परिसर की साफ–सफाई एवं धनबाद समाहरणालय में अवस्थित सभी कार्यालय शाखा, कोषांग,सभाकक्ष, भी0सी0रूम, बरामदा एवं जिला नियत्रंण कक्ष, आपदा कार्यालय, उपभोगक्ता फोरम महिला हेल्प डेस्क तथा जिला गोपनीय शाखा धनबाद आंतरिक एवं बाहरी साफ–सफाई शामिल होगी। धनबाद समाहरणालय के पूरे परिसर का साफ–सफाई रखना है।
2. सफल निविदादाता अपने कर्मियों को यूनिफार्म (ड्रेस) में रखना सूनिश्चित करेंगे।
3. परिसदन भवन नया एवं पुराना तथा धनबाद समाहरणालय में अवस्थित लॉन बगीचा में सिजनली फूल–पौधे लगाना है। साथ ही आवश्यकता अनुसार खाद, बीज, डालना एवं घास की कटाई करना होगा, तथा गार्डेन में अवस्थित झरने की साफ–सफाई एवं मरम्मति करना, सूखे गिरे हुए डाली को हटाकर परिसर को हर हाल में साफ रखना है।
4. हाउस किपिंग के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य शामिल होंगे :–
   (क) जिला अतिथिगृह में लगे इलेक्ट्रोनिक विद्युतीय उपकरणो एवं जलापूर्ति का रख–रखाव, जैसे वाइरिंग स्वीच–बोर्ड, सी0एफ0एल0 लाईट, इन्भईटर, बेसिन, पानी पाईप अवश्यकता अनुसार नया/मरम्मति कार्य।
   (ख) अतिथिगृह, परिसदन भवन पुराना एवं नया भवन के कमरों सहित हॉल की साफ–सफाई तथा सम्पूर्ण परिसदन भवन में दरवाजा खिड़की एवं अन्य फर्नीचर, सोफा उपस्कर की मरम्मति, एवं पॉलिस, का कार्य।
   (ग) अतिथिगृहों में ठहरे हुए अतिथियों के लिए प्रसाधन की वस्तुएँ यथा–साबुन, तेल, शैम्पु, तौलिया की आपूर्ति करना होगा।
   (घ) बेडशीट, मच्छरदानी, ऑलआउट, पर्दा, तकिया, तौलिया इत्यादि की आपूर्ति (आवश्यकता अनुसार), सफाई एवं धुलाई।
   (ङ) परिसदन भवन नया एवं पुराना में लगे AC, पंखा, TV, गीजर, लाईट, मरम्मति एवं रख–रखाव।
5. निर्बाध विद्युत की व्यवस्था (जनरेटर ईंधन विपत्र का भुगतान/चालक एवं मरम्मति/रख–रखाव सहित सभी कार्य)। विद्युत विपत्र का भुगतान जिला प्रशासन द्वारा किया जायेगा।
6. स्थानीय निविदादाताओं को प्राथमिकता दी जायेगी।
7. प्राप्त निविदा पत्रों में से जिस निविदादाता का दर न्यूनतम होगा, उसे धनबाद परिसदन में चाय, नास्ता एवं भोजन (शाकाहारी एवं मांसाहारी) की व्यवस्था करने हेतु आदेश निर्गत किया जाएगा। जिला नजारत शाखा, धनबाद में उपलब्ध प्रपत्र में ही निविदा राशि QUOTE करना होगा।
8. मिनु से संबंधित प्रपत्र एवं अन्य कागजात प्राप्त करने हेतु जिला नजारत शाखा धनबाद में किसी भी कार्य दिवस के दिन सर्म्पक किया जा सकता है।
9. प्रथम लिफाफा में तकनीकी निविदा एवं द्वितीय लिफाफा में निविदादाताओं को उपरोक्त सेवाएँ देने के एवज में मासिक/वार्षिक राशि QUOTE करना होगा।
10. गुणवत्ता और स्वीकृत दर में आपूर्ति के दौरान किसी प्रकार की हेरा–फेरी या त्रुटि पाए जाने पर फर्म तथा प्रोपराईटर दोनों को काली सूची में डालते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
11. अतिथिगृह कमरों का आरक्षण पूर्ववत् जिला प्रशासन द्वारा किया जायेगा। किराये से प्राप्त राशि सरकारी खजाने में जमा की जायेगी।
12. सभी तरह के कर का भुगतान निविदादाता के द्वारा किया जाएगा।
13. सफाई से संबंधित सभी सामग्री यथा झाड़ू, हीट, पोछा, वाइपर, फिनाईल, ओडोनील, हारपीक, ब्लीचिंग पाउडर, बाल्टी, जग, डस्टबीन, ग्लास डस्टर, क्लोथ डस्टर, झोल झारन, रूमस्प्रे, इत्यादि सफल निविदादाता के द्वारा आपूर्ति किया जाएगा।
14. निविदा स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने या सम्पूर्ण निविदा को रद्द या एक से अधिक आपूर्तिकर्त्ता को आदेश देने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
15. सफल निविदादाता को सम्पूर्ण राशि का छः माह के समतुल्य राशि का 10% के बराबर अलग से जमानत के रूप में चेक के माध्यम से जमा करना होगा जिसे, उपायुक्त धनबाद के द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार कार्यो की समीक्षा उपरांत कार्य संतोष जनक पाये जाने पर उक्त राशि को वापस कर दिया जाएगा।

ह0/–
उपायुक्त, धनबाद।

ज्ञापांक..................................नजा0 / दिनांक............. / .... / 2017

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इसे धनबाद से प्रकाशित स्थानीय दो समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेगें।

ह0 / –
उपायुक्त, धनबाद।

ज्ञापांक..................................नजा0 / दिनांक............. / .... / 2017

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इसका प्रकाशन धनबाद से प्रकाशित स्थानीय दो समाचार पत्रों में कराने की कृपा की जाय।

ह0 / –
उपायुक्त, धनबाद।

ज्ञापांक 383 नजा0 / दिनांक 20 / 11 / 2017

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इसे www.dhanbad.nic.in पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।

20/11/17

उपायुक्त, धनबाद।